

फारम अहकाम
अवाजीबिए कनाल सलपीर डिपार्टमेंट

नाम न्यायालय

केस संख्या १११/२०१४

कारण

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप में	निर्णय दिनांक
	११/०१/१४	<p>पञ्जावली चेंबरा हुडी कारी अनुच्छेद १ न्यायालय समय में कार कार आवाजे लगाने में किन्तु कार पकड़तम व कुमुलतम रूप में अला कारी कार कार अदम हाजरी व अदम करती में उवाजेड किया जाता है पञ्जावली चेंबरा हुडी होकर कार नगम में कम है तथा दारिद्र्य दण्ड है।</p>	<p>११/११/१४</p> <p>११/११/१४</p>

